प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 17 जुलाई,2025

विषय :- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालमन पुत्र श्री नरायनलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-34694/प्रो0अनु0(2)-276/2024/(बैठक दिनांक-08.11.2024) दिनांक-19.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालमन पुत्र श्री नरायनलाल, निवासी- मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चे, सूजा, बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस० टी० नं0- 212/2002, 221/2002, भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149 302/149, 506 व 7 सी०आर० एल०ए० एक्ट व 4/25ए० एक्ट के अर्न्तगत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 28.10.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 04 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 28.10.2024 को बंदी की आयु लगभग 47 वर्ष है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी द्वारा भविष्य में कभी भी अपराध किया जा सकता है। (3) बंदी पुनः अपराध कारित कर सकता है। (4) जेल से रिहा होने पर गांव में पुनः शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। (5) बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.10.2023 को बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.2001 को बन्दी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चे, सूजा, बल्लम से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल करने की घटना कारित की गयी। बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की आख्या /संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लालमन पुत्र श्री नरायनलाल को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालमन (बन्दी संख्या-17098) पुत्र श्री नरायनलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अर्न्तगत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-809/2025/2072(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।